न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)
बहुजलास श्री सुनिल कुमार आर.ए.एस.
[illegible]

प्रार्थना पत्र संख्या 66 / 2021

श्री राजूराम पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासी रामसर तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

…गण

1. श्री कानाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट
2. श्री मेहराजराम पुत्र मुलाराम जाति जाट
3. रतुदेवी पत्नी मंगलाराम जाति जाट
4. शाखा प्रबंधक, ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस करणू
5. तहसीलदार खींवसर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट

आदेश

दिनांक 28.07.22

प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क …स्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया इस प्रकरण का जिसका संक्षिप्त सार इस …र से है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं खातेदारी का खेत खसरा नबंर 2406 / 3043 रकबा 2. …1 हैक्टेयर भूमि मौजा रामसर तहसील खींवसर में स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त …खेत खसरा नबंर 2406 / 3043 में आने जाने व खेत के लिए साधन टैक्टर वगैहरा लाने ले जाने … कदीमी रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खातेदारी के खेत खसर नबंर 2408 रकबा 3.3832 …टेर भूमि के दक्षिणी पश्चिमी माठ होते हुए आगे समर्पित रास्ता होते हुए रामसर करणू सड़क मार्ग … चलता आ रहा है। प्रार्थी को उक्त रास्ता दिलाया जाना न्यायहित में है।

प्रार्थी के खेत खसरा नबंर 2406 में आने जाने एवं अपने पशुधन व खेती के लिए वाहन आदि …ने ले जाने के लिए खेत खसरा नबंर 2408 में से होकर डामर सड़क तक चलता आ रहा है। …ा प्रार्थी का इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा एक मात्र यही रास्ता सबसे …घुतम एवं निकटतम है।

कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खेत में से आने जाने वाले रास्ता को लेकर बात …त की थी मगर कोई हल नहीं निकला तथा हमेशा विवाद बना रहता है। इस विवाद को मिटाने … लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में …र्ज करवाने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नबंर …406 / 3043 आने जाने के एक मात्र रास्ता खसरा नबंर 2408 में से होकर आगे समर्पित रास्ता व …डामर सड़क तक होने एवं इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने एवं निकटतम व लघुतम …ही रास्ता होने से इस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना अतिआवश्यक … न्याय संगत है।

प्रार्थी के खातेदारी के खेत में आने जाने के वाले कदीमी रास्ते को जो खसरा नबंर …2408 में से होकर समर्पित रास्ता व डामर सड़क तक चलता है नजरी नक्शा में मार्क ए से बी …दर्शाया गया है। यह नजरी नक्शा प्राथना पत्र का अभिन्न अंग है। जो प्रार्थना पत्र के साथ पढा व …समझा जावें।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त खसरा नबंर 2406/3043 में आने जाने का रास्ता खसरा नबंर 2408 में से 20 फुट चौड़ा नक्शा में मार्क ए से बी अनुसार घोषित कर, उक्त रास्ते को राज हक में घोषित फरमावें। एवं ण संख्या 1 से 3 द्वारा या अन्य किसी के द्वारा रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अवरोध नहीं करने हेतू पाबन्द किया जावें।

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट भोमासर दिनांक 2021 को पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया । प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 कोर्ट भोमासर दिनांक 18.10.2021 को केम्प कोर्ट में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 उपस्थित होकर हमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता अगर दिया जाता है अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है तथा रास्ते के रूप में प्रभावित होने वाली आराजी की र राशि भी हम लेना नहीं चाहते है। प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट भोमासर 18.10.2021 को ही सरंपच ग्राम पचांयत भोमासर ने भी अपने पत्रांक/कमांक/ 01 दिनांक 2021 के द्वारा निवेदन किया की प्रार्थी उक्त रास्ते की निन्तातं आवश्यकता है तथा उक्त प्रार्थी दिये जाने का श्रम करावें।

अप्रार्थी संख्या 04 का नोटिस बाद तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार खींवसर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सर ने अपने पत्रांक/ कमांक/भू.अ./251 अ/2022 दिनांक 22.07.2022 के द्वारा निवेदन की प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नबंर 2406/3043 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि मौजा र तहसील खींवसर में स्थित है तथा खेत खसरा नबंर 2408 रकबा 3.3832 हैक्टेयर किस्म बा.2 खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम की दर्ज हैं खसरा नबंर 2408 में पश्चिमी व दक्षिणी के सहारे बिन्दु अ से बी व बी से सी से कुल 3.3832 हैक्टेयर धारा 251 अ के तहत 6/3043 में पहुंच हेतु 20 फुट चौड़ा में व कुल लम्बाई जिसका कुल रकबा 0.1217 हैक्टेयर ा है। मौके पर खसर नबंर 2408 में बिन्दु अ से बी व बी से सी तक रास्ता चलने के निशानात म है व आवागमन चालू है। उक्त खसरा की भूमि असिंचित है पास में कोई ग्रामीण व स्टेट वे आदि नहीं हैं मौका पर्चा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की गई। खातेदारान को 251 रास्ता होता है तो कोई आपति नहीं है तथा मौके पर उक्त रास्ता निःशुल्क देने की सहमति दी छताछ में पैसे नहीं लेने की बात कही है बिन्दू अ से डी समर्पित रास्ता है उसके आगे रामसर तक ग्राम पचांयत की भूमि में रास्ता चालू है। मौके अनुसार 251 अ प्रस्तावित रास्ता सुगम व टतम है। प्रश्नगत रास्ता मौके पर खाली है किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हैं नजरी नक्शा ा में संलग्न है जो इस मौका रिपोर्ट का भाग है।

स्थित प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी ने बताया कि उक्त रास्ते के अलावा मेरे पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं तथा प्रभावित रकबे के सभी खातेदार उक्त 20 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने पर सहमत है जो खित में सहमति प्रस्तुत की है, क्योंकि प्रश्नगत रास्ते में प्रभावित होने वाले रकबे के खातेदारों के रा प्रतिकर राशि भी नहीं लेना चाहाते है। तथा उक्त रास्ता घोषित होने पर प्रार्थी को अपने खेत कसण कार्य करने एवं कृषि यत्रों को लाने ले जाने एवं अपने पशुओं को लाने ले जाने में बड़ी वेधा होगी तथा हमेशा के लिए रास्ते की समस्या से निजात मिल जायेगी। इसलिए उक्त रास्ते में ावित होने वाले रकबे का प्रतिफल अप्रार्थीगण नहीं लेने में अपनी सहमति दी है। श्रीमानजी के रा उक्त घोषित किया गया रास्ता जो दोनों की सहमति से रास्ता होगा।

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

था अप्रार्थीगण एक राय में उक्त रास्ता 20 फुट चौड़ा करने में सहमत है तथा हम प्रतिफल नहीं लेना चाहाते है। उक्त रास्ता घोषित किये जाने में ग्राम पचांयत ने भी अपनी सहमति त्रावली पर मौजुद रेकर्ड एवं तहसीलदार खींवसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/इकबालिया जबाब, यत के द्वारा दी गई सहमति एवं प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा ारान की बहस पर मनन किया गया । अन्तर्गत धारा 251 क के तहत दिये जाने वाले , उक्त तीन बिन्दुओं को देखना अत्यन्तं आवश्यक है।

अतः हस्तगत प्रकरण रा.का.अ. की धारा 251 क में उल्लेखित रास्ता दिया जाने हेतु इन तीन को देखा जाना आवश्यक है की :–

1. आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा :–

जरिये प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया की उसकी कृषिगत आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते हुए उसे चाहे गये रास्ते की आंत्यतिक आवश्यकता है। हस्तगत पत्रावली में जाचं रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है की उपरोक्त चाहे गए रास्ता ही एक मात्र रास्ता है। जिसे अप्रार्थी भी देने को सहमत हैं।

2.वैकल्पिक साधनो का अभाव :–

प्रार्थी ने जरिये प्रा.पत्र एव विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अपने खेताय तक पहुॅचनें के लिये उसके पास कोई स्थायी रास्ता नहीं है। तहसीलदार खींवसर ने अपनी रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकन नहीं किया की प्रार्थी को अपने खेत में करसण कार्य हेतु आने जाने के लिए कोई अन्य रास्ता हो। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम एवं लघुतम प्रतीत होता है और इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं उक्त रास्ता घोषित करने में अप्रार्थीगण सहमत है।

3.प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिये :–

प्रश्नगत रास्ता निकटतम एवं सरल, सुगम होना चाहिये, तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा से यह साबित होता है कि उक्त प्रश्नगत रास्ता सरल सुगम एवं निकटतम है । जो तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के जबाब एवं सहमति से भी साबित होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर, अप्रार्थी संख्या 5 की जाचं रिपोर्ट, उभयपक्षकारान की अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के इकबालिया जबाब प्रार्थना पत्र, ग्राम पचांयत भोमासर की सहमति प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की आपसी सहमति के आधार पर तहसीलदार खींवसर की जाचं के प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट को स्वीकार जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । तथा तहसीलदार खींवसर को यह आदेश दिये जाते है कि

आदेश

अतः प्रार्थी श्री राजूराम पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासी रामसर तहसील खींवसर जिला ! के खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नबंर 2406/3043 में आने जाने का रास्ता ी संख्या 1 से 3 खसरा नबंर 2408 में से 20 फुट चौड़ा नजरी नक्शा में मार्क ए से बी अनुसार ा कर, उक्त रास्ते को राज हक में घोषित किया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 अपने ेत रकबे का प्रतिफल राशि लेना नहीं चाहाते है इस सबंध में अपनी सहमति न्यायालय में ा कर चुके है। तहसीलदार खीवंसर की जाचं रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते पर किसी भी पक्षकारान नेजी स्वामित्व नहीं रहेगा । यह रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो सभी के उपयोग ाग में काम आयेगा।

– **उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की ना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।**

हनुमाना राम RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक : 28.7.22 को सरे इजलास सुनाया गया ।